

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 11/15

संस्थापन दिनांक:-19/01/15

फाईलिंग नं. 233504002312015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

गोलू उर्फ यशवंत पिता कमल भारती
उम्र 28 वर्ष, निवासी लालावाड़ी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 26.09.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 05.01.2015 को 09:30 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 20 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 05.01.2015 को प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को थाना आमला में जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अम्बाड़ा में प्रायमरी स्कूल के पास अभियुक्त अवैध रूप से हाथ में धारदार लोहे की तलवारनुमा छुरी लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां उसने अभियुक्त को घेराबंदी कर रंगे हाथ पकड़ा और अभियुक्त के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार तलवारनुमा छुरी जप्त की तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 6/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.01.2015 को 09:30 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 20 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 05.01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए थाने में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वह हमराह साक्षी एवं स्टाफ को लेकर ग्राम जम्बाड़ा स्कूल के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार तलवारनुमा छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था जिससे हथियार रखने के संबंध में लायसेंस पूछे जाने पर लाससेंस न होना बताने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की तलवारनुमा छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया था तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्रमांक 6/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए की छुरी को वही तलवारनुमा छुरी होना बताया है जो उसने अभियुक्त के कब्जे से जप्त की थी।

6 अमरलाल (अ.सा.-1) एवं नीतिन (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है।

7 बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रकट किया कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। एकमात्र पुलिस अधिकारी जिसके स्वयं

के कथनों पर विरोधाभास है उसके एकमात्र कथन के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

8 बचाव पक्ष के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह सही है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अमरलाल (अ.सा.-1) एवं नीतिन (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र बिसनसिंह (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः तर्क के परिप्रेक्ष्य में विवेचक बिसनसिंह की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने अपने परीक्षण में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर ग्राम अम्बाड़ा में अभियुक्त से हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के समक्ष हाथ में लोहे की धारदार तलवारनुमा छुरी जप्त करना एवं उसे गिरफ्तार करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 5 में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया कि जप्ती पत्रक पर नमूना सील अंकित नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि जप्तशुदा आयुध आर्टिकल-ए की नाप किस चीज से की गयी थी उसका उल्लेख (प्रदर्श प्री-1) के जप्ती पत्रक में नहीं किया है। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि इंची टेप से नाप किया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जप्तशुदा आयुध धारदार नहीं है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ मौके पर पहुंचना बताया है जबकि अभियोजन कथा अनुसार सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक के साथ शासकीय वाहन से मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा गया। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में अपराध क्रमांक लेख है। जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध गवाहों के समक्ष जप्त कर मौके पर सीलबंद किया जाना लेख है परंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष आयुध की जप्ती का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में अभियोजन के द्वारा रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही हमराह साक्षी को परिक्षीत कराया गया है। साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने जप्तशुदा आयुध की नाप इंची टेप से किया जाना बताया है परंतु जप्ती पत्रक में इस संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं है। जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक में अपराध क्रमांक लेख होने से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने अभियोजन कथा से भिन्न कथन न्यायालय में मौके पर पहुंचने के संबंध में किये हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र विवेचक साक्षी के कथनों पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता तथा अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.01.2015 को 09:30 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला, थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 20 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त गोलू उर्फ यशवंत को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत तोड़कर नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)